कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय देवास.

क्रमांक 1529/29/35/नग्रानि/10 देवास, दिनांक 21/12/2010

यह मानचित्र/दस्तावेज सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत प्रदाम किया जाता है ।

प्रति,

श्रीमति विमल पति एकनाथ नारखेडे,
श्रीमति सुलोचना पति योगराज खर्चे एवं
सु श्री हिना पिता योगराज खर्चे
204 शालीमार जाम इन्दौर

विषयः– ग्राम जेतपुरा तहसील देवास की भूमि सर्वे कमांक 502/2/1, 502/2/2, 502/2/3 कुल रकबा 2.153 हेक्टर पर वेयर हाउय उपयोग हेतु स्थल अनुमोदन बाबत् ।

संदर्भः– आपका आवेदन दिनांक 10–12–2010 ।

::00::

उपरोक्त विषय के संदर्भित पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो एवं शपथ पत्र के आधार पर ग्राम जेतपुरा की भूमि सर्वे कमांक 502/2/1, 502/2/2, 502/2/3 कुल रकबा 2.153 हेक्टर पर वेयर हाउय उपयोग हेतु म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश,अधिनियम–1973 की धारा–30 (1)–(ख)तथा म0प्र0भूमि विकास नियम–1984 के नियम–2(5)(क) एवं नियम–27 के अधिन स्थल अनुमोदन कर निम्नलिखित शर्तो के साथ दी जाती है :–

1. निम्नलिखित अधिनियम नियम/सक्षम प्राधिकारी तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :–
   अ. म0प्र0भू–राजस्व संहिता–1959 की धारा–172
   ब. म0प्र0नगर पालिका अधिनियम 1956 (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्ते) नियम–1998,
   स. नजूल विभाग,देवास।
   द. देवास विकास प्राधिकरण देवास ।
   ई. अन्य किसी अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत कोई अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो,तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक ... अधिकारी
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय, देवास

2. संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार भूमि के अंतर्गत चारो ओर सीमांत खुले क्षेत्र छोडना अनिवार्य होगा ।

3. प्रस्ताव अनुसार अच्छादित क्षेत्र 30 / प्रतिशत मान्य होगा । वेयर हाउस की अधिकतम उचाई 12.5 मीटर से अधिक मान्य नही होगी ।

निरंतर.....2

यह मानचित्र/दस्तावेज सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत प्रदाम किया जाता है ।

4. स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से समस्त आधार भूत सुविधाओ का विकास स्वयं आवेदक को करना होगा ।

5. भवन का निर्माण भूकम्परोधी तकनीकि से करना होगा ।

6. म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 78 (4) अनुसार रेनवाटर हावेस्टिंग की प्रणाली स्थपित करना होगी ।

7. उक्त अनुज्ञा की शर्तो के आधार पर म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानो के तहत भवन का आंतरिक प्रस्ताव तैयार कर नियमानुसार भवन निर्माण अनुज्ञा नगर पालिक निगम देवास से प्राप्त करना होगी ।

8. उक्त अनुज्ञा पत्र जारी होने के दिनांक से 3 (तीन) वर्ष तक मान्य होगी ।
9. उक्त अनुज्ञा को भू–स्वामित्व का दस्तावेज नही माना जावे ।

10. विष्यांकित भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग से कराना होगा । सीमांकन उपरांत स्थल की सीमा अथवा स्थल मानचित्र अनुसार यदि कोई भिन्नता आती हो तो सीमांकित स्थल मानचित्र का अनुमोदन इस कार्यालय से कराना होगा ।

11. भूमि की वैधानिकता के सम्बंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर अथवा दी गई जानकारी असत्य पाई जाने पर या उक्त अनुज्ञा की शर्तो का उल्लधंन हाने पर यह अनुज्ञा म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहृत (रिव्होक) की जा सकेगी ।

सत्य प्रतिलिपि

उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय देवास